नोटिफिकेशन के समय के बाजार भाव का दिया जाता है, चाहे वह समय बीसों वर्ष पहले का हो, उसके स्थान पर भूमि पर अधिकार के समय के बाजार भाव का नहीं रखा गया था। माननीया प्रधान मंत्री ने 16 फरवरी 81 को किसान रैली में कहा था कि किसानों को भूमि के अधिकार के समय का मुआवजा दिया जायगा। यही बात कृषक समाज के सम्मेलन के प्रस्ताव में कही गई। संसद सदस्यों ने माननीया प्रधान मंत्री को लिखे पत्रों में यही कहा, चौधरी चरण सिंह, अध्यक्ष, लोक दल ने माननीया प्रधान मंत्री को पत्र लिखा, उसमें भी यही बात कही गई।

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री और माननीय न्याय मंत्री से प्रार्थना है कि विचाराधीन बिल में किसानों की अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त निम्न दो बातों को अवश्य रखा जाय :

1. भू-स्वामियों को भूमि का मुआवजा धारा 4 के नोटीफिकेशन के समय के बाजार भाव का न होकर, जब भूमि पर अधिकार लिया जाय तब के भाव का हो।

2. कोई भी प्रदेशीय सरकार अपने अधिनियम द्वारा नोटीफिकेशन और डिक्लेरेशन कर के लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट की धारा 4 व 6 के तीन वर्ष के अन्तर के प्रतिबन्ध की अवहेलना न कर सके।

यह भी निवेदन है कि यह बिल इसी सत्र में पुनर्स्थापित हो और पास हो, ताकि किसानों के साथ नित्य प्रति हो रहा अन्याय रोका जा सके।

(ii) Supply of rice to Kerala.

**SHRI V.S. VIJAYARAGHAVAN (Palghat) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, Kerala has always been a deficit State in food. The most efficient public distribution system in the country is also in Kerala. But, Kerala has always to depend on the Centre for rice which is the main cereal distributed through the public distribution system.

Kerala requires more than two lakh tonnes of rice per month for regular distribution. Since 1980, the Centre has been supplying 135000 tonnes of rice. With this, the public distribution system was being managed without much dislocation. But, for the past one or two years, this quantity was reduced and sometimes it would come down to 90000 tonnes and sometimes to 80000 tonnes. Last year, the Centre raised the allocation to 120000 tonnes in order to meet an acute food shortage. However, with this quantity it is not possible to maintain the regular weekly supply of ration. The FCI godowns in Kerala have been left with stock for a week only. When that is exhausted, the public distribution system in Kerala will collapse.

In this situation, 40000 tonnes of rice should be rushed to Kerala immediately and a permanent arrangement should be made to ensure regular monthly supply of 135000 tonnes of rice to Kerala. Besides, the FCI should build up a bufferstock of at least four lakh tonnes of rice in Kerala.

I would request the Minister for Food to take urgent steps in this matter.

(iii) Need to send a team of Central Agriculture Ministry to Gazipur to advise farmers about an alternate crop in place of Kesari Dal.

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मुहम्मदाबाद तहसील के बड़े भू-भाग में खेसारी की खेती होती है। उक्त क्षेत्र की भूमि और जलवायु ऐसी है कि खेसारी ही वहां की मुख्य फसल और किसानों की आमदनी का मुख्य स्रोत है। इधर पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने खेसारी की खेती पर कानूनी रोक लगा दी है। इससे उस क्षेत्र के किसानों की जीविका खतरे में पड़ गई है। सरकार ने किसानों को यह नहीं बतलाया कि उनकी भूमि पर और उनकी जलवायु के अनुकूल दूसरी किस चीज की

**The original speech was delivered in Malayalam.